



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 588 ]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2002/पौष 6, 1924

No. 588 ]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2002/PAUSA 6, 1924

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2002

New Delhi, the 26th December, 2002

सं. का. नि. 843(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अन्याय-निवारण) अधिनियम, 1955 के खंड 3 (च) के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 644(अ) तारीख 12 सितम्बर, 2002 का, जो भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 13 सितम्बर, 2002 में प्रकाशित की गई थी, अंशिक संशोधन करते हुए, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश राज्यों में केवल 5% इथानॉल संमिश्रित पेट्रोल के विक्रय को 1 जनवरी, 2003 से चरणबद्ध गति में आरंभ करने की और 30 जून, 2002 तक उक्त राज्यों के सम्पूर्ण क्षेत्रों को इसके विक्रय के अनर्गल होने की अनुज्ञा देती है :

G.S.R. 843(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with clause 3(F) of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998 and in partial modification of the Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum & Natural Gas Number G.S.R. 644(E) dated 12th September, 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (i) of September 13, 2002 the Central Government hereby permits sale of only 5% ethanol blended petrol in the States of Andhra Pradesh, Maharashtra, Punjab and Uttar Pradesh starting in phased manner from the first January, 2003 and covering of the entire area of the said States by the 30th June, 2003.

केन्द्रीय सरकार, यह और अनुज्ञा देती है कि सम्पूर्ण तमिलनाडु, गोवा, हरियाणा, गुजरात और कर्नाटक राज्यों तथा चण्डीगढ़, पॉण्डिचेरी, दमण और दीव तथा दादरा नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र को, 30 जून, 2003 तक, केवल 5% इथानॉल संमिश्रित पेट्रोल के विक्रय के अनर्गल किया जाए।

The Central Government further permits to cover the entire States of Tamil Nadu, Goa, Haryana, Gujarat and Karnataka and Union Territories of Chandigarh, Pondicherry, Daman Diu and Dadra Nagar Haveli with sale of only 5% ethanol blended petrol by the 30th June, 2003.

[फा. सं. पी-45018/28/2000-सीसी]

[F. No. P-45018/28/2000-CC]

एस० विजयराघवन, संयुक्त सचिव

S. VIJAYARAGHAVAN, Jr. Secy.